



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन, 1942 (श०)

संख्या-154 राँची, गुरुवार,

25 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

15 फरवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-4/2021-1676 (HRMS)-- श्री अनिल कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-सारण), अंचल अधिकारी, देवघर के विरुद्ध उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, देवघर के पत्रांक-18/गो0, दिनांक 07.01.2021 द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना अथवा अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, कर्तव्यहीनता एवं आमजनों के प्रति असंवेदनशीलता का आरोप प्रतिवेदित करते हुए उनके विरुद्ध निलंबन एवं कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

2. श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के आलोक में उन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में श्री सिंह को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	ANIL KUMAR SINGH (110071165689)	श्री अनिल कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-सारण), अंचल अधिकारी, देवघर को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।	15/02/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
